



2026:AHC.:22776

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1410/2026

डॉ. राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा

... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रमेश चंद्र तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र तिवारी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने निवेदन किया कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और याचिका के निस्तारण हेतु ये निर्देश पर्याप्त हैं। वे कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, याचिका का निस्तारण नवीन चरण पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों (पुरुष) के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 04/2005-06 प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता का चयन चिकित्सा अधिकारी के रूप में हुआ और उन्हें संख्या 1239 आवंटित की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में चयन के पश्चात, राज्य सरकार ने विभिन्न तिथियों अर्थात् 22.08.2006, 16.10.2006 और 24.11.2006 को 1220 चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें प्रथम स्तर (चिकित्सा अधिकारी, पुरुष) पर नियुक्ति प्रदान की गई थी और उस समय 'उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004' लागू थी, जिसके अनुसार चिकित्सा अधिकारी 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर में और 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर में पदोन्नति के हकदार थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2021 के नियमों के प्रारूप संशोधन के बाद अब इसमें परिवर्तन हो गया है, जिसके अनुसार द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर में पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा पूर्ण की जाने वाली सेवा 6 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष होनी चाहिए।

4. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वे याचिकाकर्ता के तृतीय स्तर से चतुर्थ स्तर में पदोन्नति के दावे पर उस तिथि से विचार करें, जिस तिथि से उनके कनिष्ठों को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पदोन्नति प्रदान की गई है, और साथ ही दिनांक 14.06.2012 से वैचारिक वरिष्ठता भी प्रदान करें जब यह लाभ कनिष्ठों को दिया गया था।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।

6. इस निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

7. विरोधी पक्षों के तर्कों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवादी, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह के भीतर, याचिकाकर्ता की पात्रता, उपयुक्तता और नियमावली के साथ-साथ प्रारूप नियमों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, विधि के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 2 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

8. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

फरवरी 3, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"